भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3021

जिसका उत्तर 16.12.2021 को दिया जाना है

टोल संग्रहण

3021. श्री राजबहादुर सिंह:
श्री प्रताप चंद्र सारंगी:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजमार्गों पर टोल संग्रहणकर्ताओं/केंद्रो द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या सरकार टोल संग्रहणकर्ताओं / केंद्रो द्वारा संग्रहण की प्रक्रिया और संगृहीत की गई राशि की निगरानी करती है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य की जिम्मेदारी किन विभागों को सौंपी गई है और उनकी शक्तियां क्या हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) सरकार ने क्षेत्र इकाई (परियोजना कार्यान्वयन इकाई या पीआईयू) की स्थापना की है जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी टोल प्लाजा पर टोल संग्रहण के संचालन की निगरानी करती है।

पीआईयू, मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि के नोडल अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि अनुबंध समझौते के अनुसार अवसंरचनाओं का उचित क्रियान्वयन, उपयोगकर्ता शुल्क का उचित और पारदर्शी संग्रहण आदि सुनिश्चित किया जा सके। अनियमितताएं, यदि कोई हों, तो इन्हें आवधिक निरीक्षण के दौरान या जनता के माध्यम से सूचित किया जाता है। उचित प्रक्रिया के अनुसार इनकी जांच की जाती है और अनुबंध समझौते के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) जी हां। एनएचएआई टोल ठेकेदारों द्वारा एकत्र की जाने वाली राशि और वसूली की प्रक्रिया की निगरानी करता है। सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा की नीलामी निविदा के माध्यम से बाजार की दर पर की जाती है और टोल ठेकेदार को बोली की राशि को एनएचएआई को जमा करना होता है जिसे वह भारत की संचित निधि में अंतरित कर देता है। किसी ठेकेदार द्वारा चूक होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली ठेकेदार की कार्य निष्पादन प्रतिभूति से की जाती है।

रियायतग्राही शुल्क प्लाजा के मामले में, रियायतग्राही द्वारा उनके रियायत समझौते के अनुसार और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार टोल एकत्रित किया जाता है।

उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के तरीके के रूप में फास्टैग के कार्यान्वयन के साथ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण की दैनिक लेनदेन को धारित करता है, जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण के लिए क्लीरिंग हाउस भी है।

इसके अलावा, प्रत्येक टोल संग्रहण एजेंसी को अनुबंध समझौते के अनुसार प्रत्येक माह में निर्धारित प्रारूप में पीआईयू को टोल संग्रहण और यातायात विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*****